COURT FEE INDIA TEN RUPEES

(219)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

R-3617-III/13

सीताराम ~~खड्डा~~ कुर्मी तनय कन्छेदी कुर्मी ,

निवासी ग्राम रमगढ़ा तह0 पटेरा जिला दमोह म0प्र0 ....आवेदक

विरूद्ध

SEP 2013

श्याम किशोर तनय भगवानदास कुर्मी

निवासी ग्राम रमगढ़ा तह0 पटेरा जिला दमोह म0प्र0

.... प्रतिनिगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है:–

1 यह कि आवेदक यह निगरानी तहसीलदार महोदय पटेरा जिला दमोह द्वारा प्र0 क0 16/अ-12/12–13 में पारित आलोच्य आदेश दिनाँक 15/05/2013 से परिवेदित होकर कर रहा है जो समय सीमा में न होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र मय शपथपत्र के संलग्न है।

66
25-9-13

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उत्तरवादी द्वारा ग्राम रमगढ़ा प0ह0नं0 36/27 तहसील पटेरा जिला दमोह के खसरा क0 18/03 रकवा 0.97 है0 भूमि का सीमॉकन संबंधित पटवारी द्वारा मिलीभगत से त्रुटिपूर्ण कराया , तथा पटवारी द्वारा गलत तरीके से मौके पर जाये बिना ही चॉदा या मुनारे को आधार बनाये बगैर ही मनमाफिक तरीके से उत्तरवादी के बताये अनुसार सीमॉकन कर दिया। उपरोक्त सीमॉकन में आवेदक की 0.24 है0 भूमि पटवारी द्वारा उत्तरवादी की होना बताते हुये पुनरीक्षण कर्ता को उपरोक्त भूमि का अतिकामक बताकर सीमॉकन प्रतिवेदन निम्न न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया।

C.F.
27/9/13

26/9/13

28-9-13

3– यह कि आवेदक द्वारा निम्न न्यायालय में लिखित रूप में आपत्ति की थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आपत्ति का निराकरण किये बगैर ही पटवारी

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

ण क्रमांक :–निगरानी–3617–तीन/2013 जिला–दमोह

सीताराम कुर्मी विरूद्ध श्याम किशोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
08–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. यह निगरानी तहसीलदार पटेरा, जिला–दमोह के प्रकरण क्रमांक 16/अ–12/2012–13 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 15–05–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 08/3/19	